न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/217/2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021/523

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

श्री पवन कुमार कौशिक,
नि0 प्लॉट सं0 7, युगल विहार कॉलोनी,
राधा पब्लिक स्कूल के सामने, पोस्ट–गोवर्धन,
जिला–मथुरा, उत्तरप्रदेश–281502

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 27.12.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01.02.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 04.10.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर होटल रामबिहारी पैलेस, ग्राम–किशनपुरा, ग्राम पंचायत बख्तपुरा, पंचायत समिति उमरैण को जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र/अनुमति पत्र संबंधी 04 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 13.12.2021 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।
5. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. लो.सू.अ./प्रथम अपील/2022/96 दिनांकः 18.01.22 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया गया। जवाब का विधिक परीक्षण किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा जवाब के माध्यम से अवगत कराया गया कि आर.टी.आई. आवेदन दिनांकः 04.10.21 में वांछित सूचना पंचायतीराज विभाग से संबंधित होने के कारण पत्र सं. 1929–30 दिनांकः 14.10.21 के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर को आवेदन अन्तरित किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर द्वारा आवेदन विकास अधिकारी, पं.स. उमरैण को अन्तरित किया गया है।
7. विकास अधिकारी, पं.स. उमरैण का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत **प्रथम अपीलीय कार्यालय यह कार्यालय नहीं है।**
8. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है तथापि लोकहित में **विकास अधिकारी, पं.स. उमरैण** को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 04.10.2021 एवं प्रथम अपील दिनांकः 13.12.2021 में वांछित बिन्दुवार सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में नियमानुसार अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत–पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर एवं विकास अधिकारी, पं.स. उमरैण को भी प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 01.02.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर, अलवर